वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/PIPELINE/151253/2022

7- परियोजना/स्कीम का स्थान – आवेदक मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि. द्वारा रायगढ़ जिले के तहसील–तमनार के देवनमुण्डा नाला से स्पंज आयरन प्लांट हेतु पानी ले जाने के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु रकबा 0.144 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव।

(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	–	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	–	रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	–	0.144 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित,वनभूमि (सूची संलग्न)
(vi)	हरियाली का घनत्व	–	0.5 से 0.6

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।

....................प्रस्तावित क्षेत्र में 36 वृक्ष का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।................

(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।

....भू–क्षरण नही होगा ....

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।

....प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंदर है ।.......................................

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)

....नही..

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।

....नहीं पाया जाता ।...

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।

....नहीं है । ....

8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

.............................प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है ।....................

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं ।

....................................नहीं किया गया है । प्रमाण पत्र संलग्न है ....

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन रायगढ़ वनमण्डल में 14.022 हे. प्रस्तावित किया गया है। जिसमें सागौन, आवंला, एवं मिश्रित प्रजाती के पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा।

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्ड़ों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड़ों का आकार ।

प्रस्तावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तमनार परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 833 आर.एफ. वनखण्ड तराईमाल में रकबा 0.350 हे. का चयन किया गया है।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि ।

रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

(iv) **प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।**

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

(v) **प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोंण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)**

प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें ।)

.... जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।..

विभाग/जिला प्रोफाईल

(i) **वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र**

....6836.00 वर्ग कि.मी. ....

(ii) **जिले का वन क्षेत्र**

....1529.596 वर्ग कि.मी. ....

(iii) **मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।**

.... 61/3415.652 हे...

(iv) **1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :–**

(क) **दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।**

....निरंक ....

(ख) **वनेत्तर भूमि पर ।**

....निरंक ....

(v) **प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :**

रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3396.325 हे. है। जिसके विरूद्ध 1592.130 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

(43)

12- **प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश**

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि. को संयंत्रों को ठंडा करने एवं अन्य घरेलू उपयोग हेतु देवनमुण्डा नाला से छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जल के उपयोग की अनुमति दी गई है जिसे 942.52 मीटर पाईप लाईन (1.5 मीटर चौड़ा) कुल क्षेत्र रकबा 0.144 हे. हेतु वन्न क्षेत्र की आवश्यकता है, जो कि न्यूनतम है।

अतः पाईप लाईन योजना की अनुसंशा की जाती है।

दिनांकः– 30/05/2022

स्थानः– रायगढ़

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ वनमण्डल